संख्या– 136 /20(02)2013

प्रेषक,

महिमा रौंकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चाय विकास बोर्ड,
अल्मोड़ा।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 07 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2024

विषयः दिनांक 05.09.2024 को सम्पन्न उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के प्रबन्ध परिषद् की 45 वीं बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने कार्यालय पत्र संख्या–406/स्था0दो0–1–6(45वीं)प्र0का0बै0/2024–25, दिनांक 11.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 05.09.2024 को सम्पन्न उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के प्रबन्ध परिषद् की 45वीं बैठक का कार्यवृत्त अपर मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में प्रस्तुत कार्यवृत्त पर अपर मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली अपर मुख्य सचिव महोदय को सन्दर्भित की गयी थी, जिसमें अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं–

"Approved. Minutes be Issued under the sign of Secretary of Management board/Council."

अतः प्रबन्ध परिषद् की 45वीं बैठक के कार्यवृत्त को वापस प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा दिये निर्देशों के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीया
Signed by
Mahima
Date: 07-10-2024 13:32:25
(महिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

कार्यवृत्त

अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनॉकः 05 सितम्बर, 2024 को आहूत उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के प्रबन्ध परिषद् की 45वीं बैठक।

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की प्रबन्ध परिषद् की 45वीं बैठक अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनॉकः 05 सितम्बर, 2024 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. डॉ0 सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य
2. श्री वी0 षणमुगम, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य
3. श्रीमती कहकसां नसीम, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य
4. श्री महेन्द्रपाल, निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा — सदस्य सचिव
5. डॉ0 सुरेश राम, संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड — सदस्य
6. श्री अमित पांडेय, सहायक प्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून — सदस्य
7. श्री डेसमण्ड वर्कबैक, चम्पावत — विशेष आमन्त्री
8. डॉ0 भूपेन ढेका, चाय विशेषज्ञ, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा — उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा
9. श्री अनिल कुमार खोलिया, वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा — उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा प्रबन्ध परिषद् की 45वीं बैठक में उपस्थित मा0 अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यगण का स्वागत करते हुए, मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में बिन्दुवार एजेण्डा पर विचार–विमर्श किया गया।

1. <u>एजेण्डा बिन्दु–1</u> : गत बैठक (18 मार्च, 2024) के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांकः 18 मार्च, 2024 को सम्पन्न प्रबन्ध परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों को कार्यालय पत्रांकः 68/1–6(44वी)प्र.परि.बै.2023/दिनांकः 03 मई 2024 द्वारा प्रेषित किया गया। कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रबन्ध परिषद् द्वारा कार्यवृत्त पर विचार–विमर्श करने के उपरान्त प्रबन्ध समिति की दिनांकः 18 मार्च, 2024 को सम्पन्न गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. <u>एजेण्डा बिन्दु–2</u> : गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही पर प्रबन्ध परिषद् द्वारा दिये गये निर्देश।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक

(दिनांकः 18 मार्च, 2024) में प्रबन्ध परिषद् द्वारा जो निर्णय लिये गये थे, उन पर बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है, की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है एवं कुछ बिन्दुओं पर प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता है, को पुनः अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

3. एजेण्डा बिन्दु–3 : उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा संचालित/स्वीकृत चाय विकास परियोजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, मनरेगा की भौतिक, वित्तीय प्रगति अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निदेशक/सदस्य सचिव, टी बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की माह जुलाई, 2024 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण प्रबन्ध परिषद् के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अवलोकन करने के उपरान्त निर्देश दिये गये कि शासन पर निर्भरता कम करते हुए, बोर्ड अपनी आय में वृद्धि के लिए हर सम्भव प्रयास करें तथा बोर्ड के Objective के अनुसार आगामी 05 वर्षो हेतु बोर्ड की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

4. एजेण्डा बिन्दु–4 : बोर्ड के चाय फैक्ट्री/चाय बागानों से हरी पत्ती ढुलान एवं प्रबन्धकों के बागान भ्रमण हेतु 04 सीटर वाली 03 बोलेरो पिकप क्रय करने के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा चाय बागानों में 04 चाय फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, जिसमें से चाय बागान कौसानी के अन्तर्गत 02 वाहन संचालित है एवं घोड़ाखाल चाय बागान द्वारा बागान में टी टूरिज्म की आय से एक वाहन क्रय किया जा चुका है। नौटी चाय बागान में पूर्व से संचालित ट्रक की अवधि समाप्त होने पर 01 नया वाहन एवं चम्पावत चाय फैक्ट्री हेतु नया वाहन क्रय किया जाना है, जिससे बागानों में उत्पादित हरी पत्तियों का ढुलान किया सकें, जिस हेतु 04 सीटर वाली 03 बोलेरो पिकप टी टूरिज्म से प्राप्त आय/जिला योजना से क्रय किये जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध परिषद् द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उक्त का अवलोकन करते हुए, निर्देशित किया गया कि जब तक अति आवश्यक न हो तब तक बोर्ड की बागानों से हरी पत्ती ढुलान एवं बागान से सम्बन्धित अन्य कार्यो हेतु नियमानुसार किराये पर वाहन हायर किया जाय।

5. एजेण्डा बिन्दु–5 : बोर्ड की कार्मिक सेवा विनियमावली–2016 एवं परिशिष्ट "क" में संशोधित प्रस्ताव अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की कार्मिक सेवा विनियमावली–2016 में काफी विषमतायें होने से बोर्ड के स्वीकृत सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है, जिस हेतु निदेशक स्तर से एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा सेवा विनियमावली–2016 के परिशिष्ट "क" में आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए सीधी भर्ती के पदों को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरने की संस्तुति सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कमेटी द्वारा सेवा विनियमावली–2016 एवं परिशिष्ट "क" में किये गये संशोधन सेवा विनियमावली का प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध परिषद् द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त चाय विकास बोर्ड के सीधी भर्ती के समूह "क" एवं "ख" के पदों को लोक सेवा आयोग एवं समूह "ग" के पदों को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भरने का अनुमोदन करते हुए, निर्देशित किया कि बोर्ड की कार्मिक सेवा

विनियमावली–2016 एवं परिशिष्ट "क" में संशोधन हेतु अपर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण (समन्वयक), अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन (सदस्य), अपर सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन (सदस्य) एवं निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (सदस्य) को नामित कर कमेटी गठित की जाय, तत्पश्चात कमेटी द्वारा बोर्ड की कार्मिक सेवा विनियमावली–2016 एवं परिशिष्ट "क" के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट को प्रबन्ध परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

6. एजेण्डा बिन्दु–6 : श्री राकेश कुमार, प्रबन्धक चाय बागान चम्पावत की 06 माह हेतु प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक / सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि श्री राकेश कुमार, जूनियर साईटिस्ट ऑफिसर, जो कि वर्तमान में बोर्ड के चाय बागान चम्पावत में प्रबन्धक पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति का समय 06 दिसम्बर 2024 को समाप्त हो रहा है, बोर्ड में प्रबन्धकीय स्तर के कार्मिकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए, श्री राकेश कुमार को उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति उपरान्त अग्रिम 06 माहों हेतु प्रतिनियुक्ति विस्तार किया जाना होगा, जिस हेतु श्री राकेश कुमार, द्वारा अपना सहमति पत्र बोर्ड को दे दिया गया है, जिस कम में भारतीय चाय बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पत्र कार्यालय पत्रांकः 184 दिनांकः 21 जून, 2024 से पत्र निर्गत किया जा चुका है, जिस क्रम में श्री राकेश कुमार, प्रबन्धक, चाय बागान चम्पावत की प्रतिनियुक्ति 06 दिसम्बर 2024 के उपरान्त भारतीय चाय बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर अग्रिम 06 माहों हेतु प्रतिनियुक्ति विस्तार का प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध परिषद् द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्देशित किया गया कि श्री राकेश कुमार, के आवेदन एवं भारतीय चाय बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर 01 वर्ष हेतु बढ़ाये जाने का अनुमोदन किया गया।

7. एजेण्डा बिन्दु–7 : बोर्ड में बागानों / कार्यालयों / फैक्ट्रियों / मृदा प्रयोगशाला में कार्यरत कुशल श्रमिकों को श्रम विभाग के शासनादेश संख्याः 286/VIII-1/24-228 (श्रम) / 2001–पार्ट–II दिनांकः 15 मार्च, 2024 के आधार पर मासिक श्रमांश के भुगतान किये जाने का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक / सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड के 09 पर्वतीय जनपदों में 1,392 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय बागान विकसित किये गये हैं, लेकिन बोर्ड हेतु बहुत कम पद स्वीकृत होने एवं बोर्ड के कार्य विस्तार को देखते हुए बोर्ड द्वारा चाय बागानों / नर्सरियों / कार्यालयों / फैक्ट्रियों / मृदा प्रयोगशाला में कार्य सम्पादन, नियोजित श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा चाय बागान हेतु निर्धारित अकुशल दैनिक मजदूरी रू0 347.00 के आधार पर प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है, जिस क्रम में बोर्ड के बागानों / नर्सरियों / कार्यालयों / फैक्ट्रियों / मृदा प्रयोगशाला में कार्यरत कुशल दैनिक श्रमिकों को श्रम विभाग के शासनादेश संख्या–286/VIII-1/24-228 (श्रम) / 2001–पार्ट–II, दिनांकः 15 मार्च, 2024 के आधार पर मासिक श्रमांश का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध परिषद् द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर विचार–विमर्श उपरान्त अवगत कराया कि श्रम विभाग का उक्त शासनादेश उत्तराखण्ड में वाणिज्यिक अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड के दुकानों में नियोजित कर्मचारियों हेतु है, जिस कारण उक्त शासनादेश बोर्ड में लागू होगा या नहीं, के सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

8. एजेण्डा बिन्दु–8 : बोर्ड के चाय बोर्ड के बागानों / नर्सरियों / कार्यालयों / फैक्ट्रियों / मृदा प्रयोगशाला में नियत प्रवृत्ति के कार्यरत कार्मिकों को ई0पी0एफ0 सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक / सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड के चाय बागानों, कार्यालयों एवं प्रयोगशाला में कार्यरत श्रमिकों द्वारा बार–बार ई0पी0एफ0 सुविधा का लाभ देने हेतु अनुरोध किया जा रहा है, बोर्ड के बागानों / नर्सरियों / कार्यालयों / फैक्ट्रियों / मृदा प्रयोगशाला एवं कार्यालयों में लगभग 94 दैनिक श्रमिकों द्वारा लिपिकीय, सुपरवाईजरी, फैक्ट्री आपरेटर, अनुसेवक सम्बन्धी कार्यों का निवर्हन किया जा रहा है, जिन्हें ई0पी0एफ0 सुविधा उपलब्ध कराने पर बोर्ड पर प्रतिमाह रू0 1,01,802.00 का व्ययभार आयेगा, जिस क्रम में उक्त कार्मिकों को बोर्ड द्वारा ई0पी0एफ0 सुविधा का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध परिषद् द्वारा विचार–विमर्श कर निर्देशित किया कि, उक्त कार्मिकों को बोर्ड द्वारा ई0पी0एफ0 सुविधा का लाभ प्रदान करने हेतु विधिक राय प्राप्त किया जाय कि बोर्ड में कार्यरत दैनिक श्रमिकों को ई0पी0एफ0 का लाभ दिया जा सकता है या नहीं। विधिक राय के आधार पर ही कार्यवाही की जाए।

9. एजेण्डा बिन्दु–9 : प्रबन्ध परिषद् के 44वीं बैठक के अन्य बिन्दु में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में बोर्ड सदस्यों को नामित करने हेतु दो सदस्यों का नाम अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक / सदस्य सचिव, चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नये सदस्यों को नामित करने हेतु निदेशक, टी.आर.ए. (टी रिचर्स एसोसिएशन) आसाम द्वारा किये गये नामित अधिकारी एवं निदेशक, चम्पावत टी मेकर्स द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर दो नये सदस्यों का नाम (1–श्री डी0 बुरागोहिन, चीफ एडवाईजरी आफिसर, टी.आर.ए. आसाम, 2– श्री देसमण्ड बर्कबैक, निदेशक, चम्पावत टी मेकर्स, प्राईवेट लिमिटेड चम्पावत) का प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध परिषद द्वारा विचार–विमर्श कर निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत नाम से सदस्य नामित न कर पदनाम चीफ एडवाईजरी आफिसर, टी.आर.ए. आसाम से करने का अनुमोदन किया गया एवं दूसरे सदस्य के नाम पर निर्णय स्थगित रखा जाए।

10. एजेण्डा बिन्दु–10 : उत्तराखण्ड शासन (श्रम अनुभाग) के शासनादेश के तहत चाय बागानों में नियोजित अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों के लिये संशोधित श्रमांश दरों के भुगतान के सम्बन्ध में।

निदेशक / सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन के श्रम अनुभाग द्वारा पूर्व में जारी चाय बागान के नियोजित अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों हेतु जारी शासनादेश संख्या–325/VII-119-228 (श्रम) / 2001–पार्ट–II, देहरादून दिनांकः 08 मार्च, 2019 को अधिकमित करते हुए उत्तराखण्ड में चाय बागान में नियोजित अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों हेतु न्यूनतम मासिक दरों की अधिसूचना संख्या–302/VIII-1/24-228 (श्रम) / 2001–पार्ट–II देहरादून, दिनांकः 15 मार्च, 2024 से जारी की गयी है, जिस क्रम में बोर्ड के चाय बागानों / नर्सरियों में कार्यरत श्रमिकों को रू0 477.00 प्रतिदिन की दर से श्रमांश का भुगतान करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध परिषद् द्वारा विचार–विमर्श कर बोर्ड के चाय बागानों/नर्सरियों में कार्यरत श्रमिकों को उत्तराखण्ड शासन के श्रम अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश के आधार पर रू0 477.00 प्रतिदिन की दर से श्रमांश भुगतान करने का अनुमोदन किया गया।

11. एजेण्डा बिन्दु–11 : अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निर्देशों पर MIF का Drawal के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में MIF का Drawal भेजने के सम्बन्ध में बैठक हुई, उनके द्वारा वास्तविक लक्ष्य एवं व्यय का सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है, जिस क्रम में 223 हेक्टेयर चाय बागानों में सिंचाई लक्ष्य के सापेक्ष 99.30 हेक्टेयर में कार्य किया जा चुका है, अवशेष 123 हेक्टेयर चाय बागानों में मार्च, 2025 तक सिंचाई कार्य पूर्ण करने के सापेक्ष अनुमानित व्यय धनराशि रू0 162.00 लाख प्रस्तावित है, का प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद् के संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध कारिणी द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा 223 हे0 में सिंचाई कार्य के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

12. एजेण्डा बिन्दु–12 : चाय बागानों में सिंचाई व्यवस्था हेतु जियो लाईन टैंक निर्मित करने के सम्बन्ध में।

निदेशक/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि चाय बागानों में सिंचाई व्यवस्था के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जनपदवार चाय बागानों में जियो लाईन टैंक (बागेश्वर 15, अल्मोड़ा 12, घोड़ाखाल 14, चम्पावत 21, पिथौरागढ़ 8, नौटी 12) स्थापित किये जाने आवश्यक है, ताकि चाय बागानों में सिंचाई कार्य किये जाने के साथ–साथ बागानों से हरी पत्तियों का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उक्त जियो लाईन टैंक, कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर निर्मित किये जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रबन्ध परिषद् द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त जनपदवार चाय बागानों में जियो लाईन टैंक, कृषि एवं उद्यान विभाग के स्वीकृत दरों पर स्थापित कराये जाने का अनुमोदन किया गया।

अन्त में प्रबन्ध परिषद् के समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित,

ह0

(आनन्द वर्द्धन)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड

(महेन्द्र पाल)
निदेशक/सदस्य सचिव

कार्यालय उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा
जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

पत्रॉकः 499 / 1–6(45वीं) / 2024, दिनॉकः 08 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2024।

प्रतिलिपिः– समस्त प्रबन्ध कारिणी के सदस्यों को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

(महेन्द्र पाल)
निदेशक / सदस्य सचिव